निर्णय बइजलास शुभम चौधरी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर

प्रकरण संख्या 15/2025 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

जीसीएमएस नं0 2025/44

ए.यू. स्मॉल फाइनेन्स बैंक लिमिटेड जयपुर

....प्रार्थी

1. मुकेश किराना स्टोर पता—नई बस्ती, बैरवा मोहल्ला पट्टीकलां बामनवास जिला सवाई माधोपुर 322211
2. मुकेश कुमार माली पुत्र मूलचन्द माली निवासी नई बस्ती, बैरवा मोहल्ला पट्टीकलां बामनवास जिला सवाई माधोपुर 322211, अन्य पता— सम्पत्ती स्थित ग्राम पंचायत बामनवास पट्टीकलां जिला स0मा0
3. श्रीमती रूपन्ती देवी पत्नी विनोद मीणा नि0 माली मोहल्ला बामनवास पट्टीकलां सवाई माधोपुर 322211

.........अप्रार्थी/ऋणी

The Application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

–:: आदेश ::–

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 28.02.2021 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के ऋण के रूप में मुकेश किराना स्टोर प्रोपराईटर मुकेश कुमार माली पुत्र मूलचन्द माली निवासी नई बस्ती, बैरवा मोहल्ला पट्टीकलां बामनवास जिला सवाई माधोपुर की सम्पत्ति पट्टा सं. 17 दिनांकित 20.07.2019 ग्राम पंचायत बामनवास पटटीकलां जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसके जमीन के पडौसी पूर्व में भरता माली, पश्चिम में मानसिंह माली, उत्तर में केशरा माली व दक्षिण में आम रास्ता (हरकेश माली) है, जिसका क्षेत्रफल 270 वर्ग गज है, को बंधक रखकर 6,00,000/— (छः लाख रूपये मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 11.10.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने साथ ही दिनांक 21.11.2024 को समाचार पत्र में साया करवाये जाने के बावजूद बकाया ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गई उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. सुयोग्य बैंक प्रतिनिधि को सुना। पत्रावली का भलीभॉति अवलोकन किया गया।
3. प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 11.10.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया, लेकिन ऋण पेटे शेष राशि का भुगतान नहीं किया गया। अतः उक्त अधिनियम की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पत्ति पट्टा सं. 17 दिनांकित 20.07.2019 ग्राम पंचायत बामनवास पटटीकलां जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसके जमीन के पडौसी पूर्व में भरता माली, पश्चिम में मानसिंह माली, उत्तर में केशरा माली व दक्षिण में आम रास्ता (हरकेश माली) है, जिसका क्षेत्रफल 270 वर्ग गज है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।
4. आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर एवं प्रार्थी बैंक को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
5. आदेश आज दिनांक 28/2/2025 को सुनाया गया।

(शुभम चौधरी)
जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:07:44 IST
Reason: SelfAttested